BA-Permanent Affi. (9)

संख्या-ई.स. 1924 /जी.एस.
दिनांक 12/10/2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

संलग्नक - 2

महोदय,

आपके पत्रांक: २३०३/सम्बद्धता/०६ दिनांक २३-०८-२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, कर्माजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

१- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(१२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३- प्रबन्धक/प्राचार्य, धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, कर्माजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रबन्धक
धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय

प्रबन्धक
धीरेन्द्र म[illegible] महाविद्यालय
कर्माजीतपुर, वाराणसी

प्राचार्य
धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय
कर्माजीतपुर सुन्दरपुर
वाराणसी